न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—00150/2014/223 आर.टी.एक्ट (2014/00150)

1. तेज़ाराम पुत्र बंशीलाल जाति कुम्हार निवासी मजरा अमृतपुरा ग्राम गोविन्दगढ तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती गोदी पुत्री नारायण जाति कुँम्हार निवासी मजरा अमृतपुरा ग्राम गोविन्दगढ तहसील पीसांगन जिला अजमेर। (मृतक)
   1/1 सागर पुत्र गोदी पुत्री नारायण पत्नी श्री बिसराम जी, जाति कुम्हार, निवासी अमृतपुरा, ग्राम गोविन्दगढ, हाल निवासी—पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
2. रतनलाल पुत्र बंशीलाल
3. श्रीमती मैना पुत्री नारायण
4. सत्तुसिंह पुत्र भंवरसिंह राजपूत
5. उगमा पुत्र म्होडू कुम्हार निवासी हिम्मतपुरा मजरा गोविन्दगढ तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
6. श्रीमती पंकुडी पत्नि गुल्लाराम
7. मदन पुत्र गुल्लाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम हिम्मतपुरा तहसील पीसांगन जिला अजमेर।
8. केसू पुत्र गुल्लाराम
9. मिठू पुत्र किसना जाति खाती (निवासी ग्राम लाडपुरा तहसील भैरून्दा)
10. सुगना पुत्र किसना जाति खाती (फौत)
11. पुखराज पुत्र किसना जाति खाती
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पीसांगन, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2009 न्यायालय सहायक कलक्टर अजमेर, राजस्व वाद संख्या 43/2002.

उपस्थितः—

1. श्री भियाराम चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री रामस्वरूप यादव, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1/1
3. श्री राजेन्द्र चौधरी, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 12
5. रेस्पोडेंट संख्या 2 से 3, 5 से 9, 11 अनुपस्थित

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

निर्णय

दिनांकः–31.01.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 43/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीया/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 88, 91, 92 ए एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिवादी/अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 2 व 3 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया जिस पर प्रतिवादी अपीलांटस उपस्थित होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर वादीया द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित कथनों को अस्वीकार करते हुए वाद को खारिज किए जाने की प्रार्थना की गई। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर 7 तनकीयात कायम करते हुए अपने निर्णय दिनांक 22.5.2009 के द्वारा वादीया का वाद डिक्री कर दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 43/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2009 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 2 से 3, 5 से 9, 11 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित किया गया निर्णय एवं डिक्री दिनांक 22.5.2009 की सूचना प्रार्थी के वकील द्वारा जरिए डाक उसे भिजवाई थी किंतु उसको उक्त सूचना का पत्र प्राप्त नहीं हुआ एवं वह इसी विश्वास में था कि उसका प्रकरण अभी चल रहा है। प्रार्थी को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 13.12.2009 को पटवारी हल्का द्वारा गांव में हुई जब उसने बताया कि उसके खिलाफ फैसला हो गया है तो वह दिनांक 14.12.2009 को उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उसे दिनांक 17.12.2009 को नकल प्राप्त हुई। इसके पश्चात वह वकील से संपर्क कर यह अपील तैयार करवाई जाकर बिना किसी विलंब के न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पूर्णतः जानकारी थी इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है व अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र पर किए गए कथन संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते है, क्योंकि प्रार्थी ने जानकारी के संबंध में समुचित एवं पर्याप्त कारण अंकित नहीं किए है इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अभिभाषक उभयपक्षों द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2002(1) के अनुसार परिसीमा अधिनियम 1963– धारा–5 विलम्ब का उपशमन–विलम्ब, उपशमन के प्रश्न पर विचार करते समय सर्वप्रथम न्यायालय को मामले के गुणावगुण पर विचार करना चाहिए–यदि मेरिट पर मामला अच्छा है तो विलम्ब माफ कर दिया जाना चाहिए।

प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। उक्त अपील के प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को क्षमा किया जाकर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करने से प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। *अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।*

7. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि प्रतिवादी अपीलांट के पिता बंशीलाल को श्री नारायण ने सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार गोद लिया था। इस कारण राजस्व रेकार्ड में अपीलांट के नाम विवादित आराजीयात अमल दरामद किया जाकर उसे खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया एवं अपीलांट विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर निर्णय पारित कर दिया। यदि वादीया अपीलांट के पिता बंशीलाल को नारायण का गोदपुत्र नहीं मानती है तो गोद का बिंदु को उसे सक्षम सिविल न्यायालय से तय करवाना चाहिए था उसका दावा राजस्व न्यायालय में मेंटनेबल नहीं होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायायल ने वादीया के दावे को डिक्री कर दिया। विवादित आराजी पर अपीलांट के पिता बंशीलाल का उनके जीवनकाल तक कब्जा रहा एवं उनके देहान्त के बाद अपीलांट का मौके पर कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा वादीया के पिता नारायण का देहांत हिंदु उत्तराधिकारी अधिनियम 1956 के लागू होने के पूर्व ही हो चुका था उस समय के विधि के अनुसार वादीया विवादित आराजी की खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने वादीया का दावा डिक्री कर दिया। वादीया के पिता का देहांत काफी समय पहले हो गया था तथा उसे प्रतिवादी के नाम का इन्द्राज का ज्ञान होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं की एवं वाद मियाद बाहर प्रस्तुत किया गया जो निरस्त किए जाने योग्य था परंतु उसका दावा डिक्री किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आपत्तियां कानूनी नजीरें एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का विवेचन नहीं कर आदेश 20 नियम 5 जा0दी0 को प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 43/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2009 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

8. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस अपील में वर्तमान रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पत्र पेश कर कथन किया कि ग्राम गोविन्दगढ मजरा अमृतपुरा पटवार हल्का गोविन्दगढ तहसील पीसांगन के खाता नम्बरान की कृषि भूमि वादीया की पैतृक भूमि है। उक्त कृषि भूमियां खतौनी जमाबंदी 1359 फसली के अनुसार वादीया के पिता श्री नारायण पुत्र श्री धासी के नाम दर्ज है। नारायण के स्वर्गवास के पश्चात उक्त भूमियां का राजस्व रिकार्ड में श्री बंशीलाल मुतबन्ना नारायण के नाम दर्ज हो गया। दिनांक 20.12.1997 को बंशी की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का विरासत नामांतकरण खुला जिससे भूमि बंशी के पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 के नाम दर्ज हो गया। वादीया कथन है कि इंद्राज गलत है क्योंकि नारायण ने बंशी को कभी गोद लिया ही नहीं था। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 3 श्रीनारायण की बेटियां होने के नाते उनकी विधिक वारिसान है और पिछले 40 सालों से मौके पर वादीया की ही कब्जा काश्त है। अतः वादी ने अनुतोष चाहा है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 3 को विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जाए। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

9. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन यह पाया कि अपीलांट द्वारा अपने वाद पत्र में कथन किया गया है कि अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 2 बंशीलाल के वारिसान है व बंशीलाला को स्व0 नारायण ने अपने जीवनकाल में सामाजिक रीति रिवाज से गोद लिया था अर्थात वह उनका गोदपुत्र है परंतु पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात से यह कहीं पर भी सिद्ध नहीं होता है कि स्व0 नारायण द्वारा अपने जीवनकाल में बंशीलाल को विधिक तरीके से गोद लिया गया हो चूंकि पत्रावली पर उनके द्वारा ऐसा कोई पंजीबद्ध दस्तावेजात इस बाबत प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः इस बाबत अपीलांट द्वारा कहे गए कथन निराधार है।

चूंकि प्रतिवादीया द्वारा अपने समर्थन में बंशीलाल का राशन कार्ड, ग्राम पंचायत द्वारा प्रमाणित सजरा 1971 व 1975 की मतदाता सूची में अंकित श्री बंशीलाल का नाम प्रदर्श पी 10–12 जिस सब में उनके पिता का नाम श्री चूना दर्शाया गया है, जो उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किए गए है व बंशीलाल अपने पिता के एकमात्र पुत्र था, अतः एक पुत्र किसी भी स्थिति में गोद नहीं जा सकता है। चूंकि स्व0 नारायण का स्वर्गवास करीब 40 बर्ष पूर्व हुआ था इससे स्पष्ट है कि विवादित भूमि श्री नारायण की थी न की उसकी जोइन्ट हिन्दू फैमली की इस स्थिति में नारायण की आराजीयात के विधिक वारिसान उसके पुत्र अथवा पुत्रियां ही होंगे।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ग्राम गोविन्दगढ स्थित वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या 1 का ही कब्जा होना पाया गया है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का उक्त भूमि पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। चूंकि विवादित आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक संपत्ति है व प्रतिवादी संख्या 1 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आराजीयात पर साक्ष्य व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर दस्तावेजों का अवलोकन कर हक हिस्सा निहित मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को अपीलांट के साथ सहखातेदार घोषित कर वाद को डिक्री किया गया है। इस संदर्भ में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सीपीसी प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 ने यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner

अनुतोष मांगा है कि अपीलांट की अपील स्वीकार कर विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे जिससे रेस्पोडेंट-वादी द्वारा उक्त वाद को विचारणीय न्यायालय के समक्ष विड्रोल कर सके। परंतु हाजा न्यायालय का इस परिप्रेक्ष्य में यह मत है कि उक्त राजीनामे में सिर्फ रेस्पोडेंट संख्या 1/1 की ही सहमति है व अन्य पक्षकारान उक्त प्रकरण में अनुपस्थित हैं, अतः उक्त राजीनामा पूर्णत एकपक्षीय है, जो न्यायालय हाजा में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, फिर भी यदि उभयपक्षकारान के मध्य किसी प्रकार का राजीनामा हो भी गया है तो वह अपने हक हिस्से की आराजीयात को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा दूसरे पक्ष के नाम कर सकते है। जिससे राजकीय राजस्व की भी हानि नहीं होगी व उक्त वाद का निस्तारण बिना वाद विवाद के स्वतः ही हो जाएगा।

अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में तनकी निर्मित कर प्रत्येक तनकी का विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपने निर्णय में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज किए जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त कारणों से अपील अपीलांटस खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 43/2002 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2009 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

31/01/2025

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

;Civil Procedure Code, Appendix "G"-9)

अज अदालत : **राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।**

ब इजलाशः—रामचन्द्र, आर.ए.एस.

तेजाराम पुत्र बंशीलाल जाति कुम्हार निवासी मजरा अमृतपुरा ग्राम गोविन्दगढ तहसील पीसांगन जिला अजमेर।

बनाम

श्रीमती गोदी पुत्री नारायण जाति कुम्हार निवासी मजरा अमृतपुरा ग्राम गाविन्दगढ तहसील पीसांगन जिला अजमे मृतक जरियेः—

1/1—सागर पुत्र गोदी पुत्री नारायण पत्नि श्री बिसराम जी जाति कुम्हार निवासी अमृतपुरा ग्राम गोविन्दगढ हाल निवासी पीसांगन तहसील पीसांगन जिला अजमेर व अन्य।

(अपील संख्या 00150/2014 ब अदालत सहायक कलक्टर मुख्यालय अजमेर मुबर्खे 22 माह 05 सन् 2009, प्रकरण संख्या 43/2002 बउनवानी श्रीमती गोदी बनाम तेजराम वगैरह.)

राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,91,92ए,188 राज0 काश्त0 अधि0

यह अपील ब तारीख 31 माह 01 सन् 2025 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिर श्री भीयाराम चौधरी अभिभाषक अपीलांट,श्री रामस्वरूप यादव,अभिभाषक रेस्पों संख्या 1/1,श्री राजेन्द्र चौधरी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 04, श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोंडेट संख्या 12,रेस्पों संख्या 02 से 03, 05 से 09, 11 अनुपस्थित, समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं किः— अपील अपीलांटस खारिज की जाती है, तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 43/2002 में पारित निणर्य व डिक्री दिनांक 22.05.2009 को यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक —. रूपये— —. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का— — अदा करें।)

बखत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 31 माह 01.सन् 2025 को जारी किया गया।

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	—		1.स्टाम्प वकालतनामा	—	
2.स्टाम्प वकालतनामा	—		2.स्टाम्प अर्जी	—	
3.इजराय हुक्मनामा	—		3.इजराय हुक्मनामा	—	
4.वकील फीस बाबत्	—		4.महनताना वकील	—	
मीजान	—		मीजान	—	

नोट:—इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहियें

Scanned with CamScanner